रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2001/श्रावण 3, 1923
No. 503] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2001/SRAVANA 3, 1923

CENTRAL ... LIBRARY ... OF INDIA

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2001

का.आ. 701(अ).—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: —

1. (1) यह आदेश दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद (संशोधन) आदेश, 2001 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. दुग्ध तथ दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में,—

(i) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (डीडी) को हटा दिया जाएगा,

(ii) पैराग्राफ 5 में, उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"(I) इस आदेश को लागू करने की तारीख से, कोई भी व्यक्ति अथवा निर्माता, जैसा भी मामला हो, संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण/अनुमति प्राप्त किए बिना एक नए संयंत्र की स्थापना नहीं करेगा अथवा मौजूदा संयंत्र की क्षमता नहीं बढ़ाएगा। इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के पास निर्धारित शुल्क के साथ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन प्रस्तुत करें।"

(II) संबंधित उप-पैराग्राफ 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) एवं छटी अनुसूची के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"5(क) उप-पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, पंजीकरण प्राधिकारी, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसी समितियों का गठन करें जो निरीक्षण के लिए उपयुक्त हो जिसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार व किसी अन्य स्वशासी निकाय के तीन अधिकारी शामिल हों।

5(ख) जब तक स्वच्छता और सफाई संबंधी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक स्थापित संयंत्र को शुरू नहीं किया जाएगा। निरीक्षण दल में कम से कम तीन सदस्य होंगे अर्थात् एक पशुपालन और डेयरी विभाग से डेरी विशेषज्ञ, दूसरा डेरी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ तथा तीसरा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य।"

(iii) पैराग्राफ 6 और उससे संबंधित तीसरी अनुसूची को हटा दिया जाएगा।

(iv) पैराग्राफ 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"7. दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादों की स्वच्छता संबंधी जरूरतों के अनुकूलतम मानदंडों के रखरखाव के लिए उपकरण अथवा परिसरों में अथवा दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादों के गुणवत्ता मानदंडों को हासिल करने, अथवा मशीनरी और परिसरों के बारे में स्वच्छता हासिल करने में रिपोर्ट की प्राप्ति पर पंजीकरण प्राधिकरण अथवा अन्यथा यदि संतुष्ट है कि कोई भी संशोधन, संयोजन अथवा रद्दोबदल जरूरी है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले को पंजीकरण प्राधिकरण निर्देश जारी करें कि निर्धारित अवधि के भीतर संशोधन, संयोजन अथवा परिवर्तन को शुरू कर दें और निर्देश के मानने में असफलता अथवा चूक होने पर पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(v) पैराग्राफ 13 में परन्तुक के लिए उप-पैराग्राफ (1) में निम्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत: —

"बशर्ते कि यूनिट का पंजीकरण प्रतिदिन 1.00 लाख लीटर दूध अथवा प्रतिवर्ष 5000 मीटरी टन दूध के ठोस पदार्थों का रखरखाव करता है जहां यूनिट के सम्पूर्ण दुग्ध शेड राज्य/संघ शासित राज्यों में है, वहां संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों में पंजीकरण प्राधिकरण अधिकारी होगा।"

(vi) पैराग्राफ 29 के लिए निम्न पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"29. पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस आदेश के प्रावधानों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने के मामले में, पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।"

[फाइल संख्या 9-4/2000 डी. पी]

डी. एस. नेगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल आदेश दिनांक 9 जून, 1992 के संख्या सा. का. 405(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद 7 जनवरी, 1993 की संख्या सा. का. 32(अ), 17 फरवरी, 1993 की संख्या सा. का. 111(अ), 27 अगस्त, 1993 की संख्या सा. का. 639(अ) तथा 24 मार्च, 1995 की संख्या सा. का. 240(अ) के तहत संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2001

S.O. 701(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Milk and Milk Product Order, 1992, namely :—

1. (i) This Order may be called the Milk and Milk Product (Amendment) Order, 2001.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 In the Milk and Milk Product Order, 1992 :—

(i) In paragraph 2, Sub-paragraph (dd) shall be omitted.

(ii) In paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely :—

"(I) On and from the date of commencement of this Order, no person or manufacturer shall set up a new plant or expand the capacity of the existing plant without obtaining registration/permission as the case may be from the concerned Registering Authority. For this purpose, such person may make an application in the form specified in the first Schedule along with the prescribed fee to the Registering Authority for obtaining registration certificate."

(II) For sub-paragraphs 5(A), 5(B) and 5(C) and Sixth Schedule relating thereto the following shall be substituted, namely :—

"5(A) Without prejudice to the provisions of sub-paragraph 5, the Registering Authority may, if it deems necessary, constitute such number of committees as it deems fit for inspection consisting of three officers either of Central Government, State Government or any other Autonomous
,"

"5(B). The plant set up will not be allowed to be commissioned unless an inspection has been carried out to ascertain sanitary and the hygienic conditions. At least three members should be in the inspection team i.e. one Dairy Expert from Department of Animal Husbandry and Dairying, second any Expert in the field of dairying and the third an Expert from respective State Pollution Control Board."

(iii) Paragraph 6 and Third Schedule relating thereto, shall be omitted.

(iv) For Paragraph 7, the following shall be substituted, namely :—

"7. The Registering Authority on receipt of report or otherwise if satisfied that any modification, addition or alteration is necessary in equipment or premises for the maintenance of optimum standards of sanitary requirements of milk or milk products, or to secure the quality standards of milk or milk products, or to secure cleanliness in relation to the machinery or the premises, the Registering Authority may issue direction to the holder of the Registraion Certificate to carry out the modification, addition or alteration within a stipulated period and in the event of any failure or default in compliance of direction, the registration may be cancelled by the Registering Authority."

(v) In Paragraph 13, in sub-paragraph (1) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the registration of unit handling up to 1.00 lakh litres of milk per day or 5000 MT of milk solids per annum where the entire milk shed of the unit lies within a State/Union territory, the Registering Authority shall be an officer of the concerned State Government/Union territory."

(vi) For Paragraph 29 the following Paragraph shall be substituted, namely :—

"29. In the case of any contravention of any of the provisions of this Order by the holder of registration certificate or any other person, the concerned Registering Authority shall be empowered to initiate suitable action against the holder of registration certificate or any other person, as the case may be."

[F. No. 9-4/2000-DP]
D. S. NEGI, Jt. Secy.

Footnote :—The Principal Order was published in the Gazette of India vide number S.O. 405(E) dated the 9th June, 1992 and subsequently amended vide S.O. 32(E) dated, the 7th Jan., 1993; S.O. 111(E) dated 17th Feb., 1993; S.O. 639(E) dated 27th August, 1993 and S.O. 240(E) dated 24th March, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.